राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(114)RSSB/अर्थना/Jra & tra/संयुक्त भर्ती/2023/2183 दिनांक : 23.06.2023

–:संशोधित विज्ञप्ति:–

कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती–2023

बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती–2023 हेतु विज्ञापन संख्या 02/2023 दिनांक 20.06.2023 को जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये है। उक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. **विज्ञापन के बिन्दु संख्या 01 ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया के उप बिन्दु 01 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल http://rsmssb.rajasthan.gov.in अथवा http://rssb.rajasthan.gov.in पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से Login करने के उपरांत Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी Category, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई Category, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options ही भरने हेतु मिलेंगें अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET (Graduation) का ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक (Application No.) दर्ज करना होगा। CET (Graduation) परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक व SSO ID को सिस्टम द्वारा CET (Graduation) के डाटा से Verify किया जायेगा। Verify हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाए, प्रदर्शित रहेगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।

2. **विज्ञापन के बिन्दु संख्या 2 पंजीयन शुल्क में उप बिन्दु (घ)** कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3) कार्मिक/क–2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही पंजीयन शुल्क रूपये 400/–देय है एवं इसके नीचे अंकित नोट 3 को विलोपित किया जाता है।

3. **विज्ञापन के बिन्दु संख्या 19 ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में **फोटो एवं हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है।** शेष सूचनाओं में वह **संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:–**

i. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/– रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी **फोटो एवं हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है,** शेष प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।

ii. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष